

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 8(2) राज/वाद/23 पार्ट

जयपुर, दिनांक: यथा ई-हस्ताक्षरार्थ

:: शुद्धि पत्र ::

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 08.08.2026 के द्वारा राज्य सरकार की ओर से अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी करने हेतु नियुक्त अधिवक्ता संवर्ग के लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक/विशिष्ट लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक को देय मासिक रिटेनरशिप/एपीरियेन्स फीस/ ड्राफ्टिंग एवं सेंटलिंग चार्जेज/विविध खर्चों की दरों में तत्काल प्रभाव से वृद्धि की गयी थी।

उक्त आदेश दिनांक 08.08.26 में अंकित सूची के कॉलम संख्या 05 में वर्णित "Drafting and Settling Charges per Month" को "Drafting and Settling Charges per Case" पढ़ा जावें।

(प्रमोद कुमार मलिक)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि/विशिष्ट शासन सचिव, विधि(वादकरण)।
- 4 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
- 5 समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
- 6 समस्त कोषाधिकारी राजस्थान।
- 7 समस्त लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक राजस्थान।
- 8 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि (वादकरण) विभाग।
- 9 उपनिदेशक (एनालिस्ट कम प्रोग्रामर), विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 10 रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव, विधि

Document certified by PRAMOD KUMAR
MALIK <rhjspramod.malik@gmail.com>.

Digitally Signed by PRAMOD
KUMAR MALIK
Designation: Secretary
Date :03-09-2026 03:09:37